कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर

उदयपुर 313 001 (राजस्थान) टेलीफैक्स : 0294–2423440

ई–मेल : devasthan @ hotmail.com

क्रमांकः– एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2017–18/ दिनांकः–

सीमित निविदा सूचना

देवस्थान विभाग के कार्यालय भवन एवं परिसर की जोब बेस पर सफाई संबंधी कार्य के लिये पंजीकृत फर्मो/एजेन्सियों से निर्धारित निविदा प्रपत्र पर मुहरबन्द सीमित निविदाऐं दिनांक **25–10–2017** को दोपहर 1.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर **3** बजे उपस्थित बोलीदाता, यदि कोई हो, के समक्ष खोला जावेगा।

क्र. सं.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित राशि रूपये	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली की वैधता अवधि
	कार्यालय भवन एवं परिसर की सफाई एवं कचरे का निस्तारण आदि कार्यो के लिये वार्षिक राशि (सफाई के काम में आने वाली समस्त सामग्री, पी.एफ. राशि, ई0एस0आई0 राशि एवं GST एवं अन्य सभी खर्चो सहित)	1.50 लाख	3000/– रूपये	200/– रूपये	90 दिन

कार्य का पूर्ण विवरण कार्यालय में देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र कार्यालय से क्रय किया जा सकता है अथवा राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.rajasthan.gov.in या विभागीय वेबसाईट www.devasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पोर्टल से डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा प्रपत्र का शुल्क रूपये 200/– नकद अथवा डी.डी. निविदा के साथ जमा कराना होगा।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
I.A.S.
आयुक्त
देवस्थान विभाग
राजस्थान उदयपुर

क्रमांकः– एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2017–18/ 19704–16 दिनांकः– 4-10-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. मैसर्स ....
2. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को भेजकर लेख है कि उक्त सीमित निविदा को आज ही विभाग की वेब साईट www.devasthan .rajasthan.gov.in व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http;/sppp.raj.nic.in पर अपलोड कर एवं तत्सम्बन्धी विवरण की प्रति लेखा अनुभाग को उपलब्ध करावें।
3. अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान– उदयपुर/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त(मु0) प्रधान कार्यालय / सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, प्रधान कार्यालय (सदस्य उपापन समिति) ।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर/ जिला कलक्टर/नगर निगम/महाराणा भोपाल चिकित्सालय/खान एवं भू–विज्ञान विभाग/ आर.एस.एम.एम.एल./ नगर विकास प्रन्यास/ प्रधान कार्यालय/ सहायक आयुक्त देवस्थान, उदयपुर / होटल देवदर्शन/ सराय फतेह मेमोरियल– उदयपुर।

(भारती राज)
वित्तीय सलाहकार
देवस्थान विभाग
राजस्थान उदयपुर

प्रस्तुत करने की तिथि 25.10.2017 को दोपहर 01.00 बजे तक
खोलने की तिथि 25–10–2017 को दोपहर 03.00 बजे

निविदा प्रपत्र

आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के कार्यालय भवन एवं परिसर की सफाई हेतु

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....

2. स्थायी पता : ....

3. पत्र व्यवहार का पता : ....

4. दूरभाष संख्या : ....

5. मोबाईल नम्बर एवं फैक्स/ई मेल नं0 : ....

6. निविदा जिसको प्रस्तुत करनी है : आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

5. निविदा शुल्क रूपये 200/– नगद रसीद संख्या .... दिनांक..

6. अमानत राशि 3000/– जमा विवरण रूपये नगद/रसीद संख्या/बैंकर्स चेक/ डी.डी. नम्बर ....

दिनांक .... बैंक का नाम..

7. निविदा सूचना तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है, इनके प्रमाण स्वरूप सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

8. संलग्न Schedule –H में अंकों एवं शब्दों में दरे प्रस्तुत की जानी है।

9. संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख" की शर्तो की पालना करने के लिये बाध्य रहूंगा एवं सहमति स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

परिशिष्ट–क

(1) पूर्व अनुभव विवरण, यदि हो तो (विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्कृष्ठ/संतोषप्रद कार्य करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें (केन्द्र/राज्य सरकार के किसी विभाग/स्वायतशाषी संस्था/निगम, बोर्ड, बैंक इत्यादि में)

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अवधि से/तक	वर्क आर्डर राशि	कार्य का विवरण	कार्य छोड़ने का कारण

2. श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्राप्त लाईसेंस की प्रति एवं ई.पी0एफ. नंबर उपलब्ध कराना केवल उन्हीं ठेकेदारों के लिए आवश्यक होगा जिनके पास 20 या इससे अधिक श्रमिक को अन्यथा 20 से कम श्रमिक होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. वर्तमान कार्यरत स्थायी/नियमित श्रमिकों की सूची (श्रमिकों का नाम, पता मय आई.डी.प्रूफ व कब से कार्यरत हैं) संलग्न करें।

4.फर्म/व्यक्ति का पेन नम्बर एवं सर्विस टेक्स नम्बर की सत्यापित फोटो कॉपी संलग्न की जावे (यदि हो तो)

5.मैंने/हमने निविदा में अंकित समस्त शर्ते पढ ली है व समस्त शर्ते स्वीकार हैं प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तो एवं परिशिष्ठ–क पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

संलग्न प्रपत्रों की संख्या .... दिनांक ....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

सफाई अनुबन्ध की शर्तेः—

परिशिष्ट— ख

1. कार्य अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष के लिये होगी।
2. संबंधित समस्त कार्य निविदा में बताये अनुरूप नियमित रूप से करना होगा तद्नुसार कार्य नहीं करने पर ठेकेदार पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
3. ठेके के लिये प्रदत्त ठेकेदार/फर्म को वार्षिक दर से स्वीकृत राशि के आधार पर मासिक भुगतान अनुपातिक होगा। यह भुगतान ठेकेदार/फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करने एवं कार्यालय अधीक्षक से सन्तोषजनक कार्य प्रमाणित होने के बाद ही किया जा सकेगा। ठेकेदार/फर्म को आगामी माह का भुगतान पिछले माह श्रमिकों को किये गये भुगतान के संबंध में इस आश्रय का प्रमाण पत्र देने के बाद किया जावेगा कि कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर भुगतान कर दिया गया है तथा ई.एस.आई/पी.एफ की कटौती को समय पर जमा कराई जा रही है, श्रम विभाग के अधिनियमानुसार समस्त पालना की जा रही है तथा दोषी पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी। कर्मचारियों को भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक करना होगा। उक्त कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने, भुगतान में हुई देरी के लिये ठेकेदार /फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगें।
4. किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
5. ठेकेदार अपनी संविदा को या.उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा। सबलेट करने पर उसको भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार उदयपुर।
7. ये कार्य अनुबंध है, कार्य निविदा अनुसार नहीं करने या अधूरा छोड़ने/बन्द करने की दशा में आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेकेदार/फर्म के हर्जे खर्चे पर उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से करवाया जा सकता है और उसमें हुआ अतिरिक्त व्यय ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।
8. कार्यालय भवन एवं परिसर में साफ–सफाई का कार्य कार्यालय समय से पूर्व करना होगा।
9. सफल बोलीदाता की बयाना राशि अमानत राशि में समायोजित कर ली जायेगी। बयाना राशि व अमानत राशि पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
10. जिस निविदादाता के पक्ष में ठेका स्वीकृत होगा उसे ठेके की स्वीकृति की कुल राशि की 5 प्रतिशत अमानत राशि एक सप्ताह में नकद ड्राफ्ट बैंकर चैक, एन.एस.सी. के रूप में आयुक्त, देवस्थान विभाग उदयपुर के नाम बन्धक कराकर जमा करानी होगी, एवं उसमें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भा II एवं राज लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के नियम एवं प्रावधान लागू रहेगें।
11. सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि जमा कराने के पश्चात् 500 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र पर अनुबन्ध करना होगा और निविदा के साथ दिये गये परिपत्र एवं शर्ते कार्य अनुबन्ध के भाग होगें।
12. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार उदयपुर को होगा तथा वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है। इसमें कोई विवाद मान्य नहीं होगा। उनके द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।
13. यदि अनुमोदित ठेकेदार अनुबन्ध एवं बोली की शर्तो के अनुरूप कार्य करने में असफल रहता है, तो उसका ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। तथा ठेके की शेष अवधि के लिये द्वितीय न्यूनतम फर्म/ठेकेदार से अथवा पुनः निविदा आमंत्रित कर कार्य अन्य ठेकेदार/संस्था से कराया जा सकेगा, तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से नियमानुसार वसूली योग्य होगी।

14. ठेके की अवधि में कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है, तो ठेकेदार एवं विभाग की सहमति से ठेके की अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकती हैं।
15. ठेकेदार को कार्यादेश मिलने पर 7 दिवस में अनुबंध कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा उसकी बयाना राशि जब्त की जा सकेगी।
16. केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम नियमों, उप नियमों, अधिनियमो की पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। इन नियमों का उल्लघंन करने पर उसके परिणामों/दायित्वों के लिये स्वयं उत्तरदायित्व होगें। विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
17. सफाई में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री/रसायन/औजार/मशीन झाडू/फावडा, टोकरी, हाथगाडी व साधन इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के स्तर से करनी होगी।
18. कचरा निर्धारित स्टेण्ड पर डालने की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म को करनी होगी।
19. यदि ठेकेदार स्वयं या उनके कर्मचारी कार्य के दौरान संस्थान की चल अचल सम्पति का कोई भी नुकसान करता हैं तो उसकी वसूली ठेकेदार के बिल/प्रतिभूति राशि से की जावेगी। नुकसान का आंकलन विभाग स्तर पर कराया जायेगा जो कि ठेकेदार को मान्य होगा। ठेकेदार/फर्म के किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य में व्यवधान डालने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर अथवा अनपेक्षित आचरण करने पर यदि प्रंशासन उस को हटाने का निर्देश देता हैं तो ठेकेदार/फर्म को उस कर्मचारी को तुरन्त हटाना होगा।
20. निविदा सभी दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिये, किसी भी दृष्टि से अपूर्ण पाये जाने पर निविदा प्रथम दृष्टया निरस्त कर दी जायेगी।
21. ठेकेदार /फर्म को उनके अधीन कार्यरत श्रमिकों का चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन)श्रम विभाग द्वारा निर्धारित परिपत्रों में सूचना एवं अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी तथा किसी भी अधिकारी/विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
22. निविदादाता निविदा देने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य क्षेत्र का निरीक्षण कर सकता है।
23. ठेके से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर के नाम से करना होगा।
24. ठेकेदार/फर्म को प्रतिभूति राशि के अलावा आवश्यकता होने पर (ई.एस.आई. की बकाया राशि कानूनी रूप से आवश्यक होने पर जमा कराने वाली) फर्म के बिल से काट दी जावेगी।
25. वर्तमान में स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी की दर से श्रमिकों को भुगतान करना होगा।
26. ठेके की अवधि के बीच यदि राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्वि की जाती है या अन्य कोई आदेश होता है, तो उसका वहन ठेकेदार/फर्म को ही करना होगा।
27. ठेकेदार श्रमिक की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, कमी होने पर आपूर्ति करेगा। किसी श्रमिक के अवकाश पर होने पर उसके स्थान पर अन्य श्रमिक लगाने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी।
28. कार्यालय अधीक्षक के मौखिक आदेशों/निर्देशों की पालना समय पर सुनिश्चित करनी होगी।
29. कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, या श्रमिक अनुपस्थित रहते हैं, तो प्रतिदिन ठेके की दर से आनुपातिक कटौती संबंधित फर्म के बिल से की जावेगी।
30. साफ सफाई के मामले में निरीक्षण कर्ता द्वारा बताये गये किसी स्थान पर साफ सफाई नहीं पाये जाने पर 100 रूपये प्रति दिन के हिसाब से शास्ति लगाई जायेगी।
31. उपरोक्त सभी शर्तो की पालना करने की स्थिति एवं अन्य सामर्थ्य होने पर फर्म/ठेकेदार भाग लेने का निश्चय करें।

32. ठेकेदार/फर्म को प्रतिमाह अपने बिल के साथ लगाये गये श्रमिकों की गत माह की पैमेन्ट शीट में प्रत्येक श्रमिक के पी.एफ/ई.एस.आई. नम्बर अंकित करने होगें इसके अभाव में बिल पारित नहीं होगा।
33. होने वाला अनुमानित व्यय कम या अधिक हो सकता है।
34. कार्यालय परिसर में स्थित समस्त कमरों, शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों, गैलेरी, बरामदों, किचन, छज्जों, चौक आदि की सफाई जिसमें समस्त भागों का झॉडू पोंछा, डस्टर, जालों, दरवाजों, खिड़कियों की सफाई,कमरों में लगे पंखों ट्यूब लाईट व रॉड खिडकियों की जालियों, पार्किंग स्थल, बाहरी चौक सहित समस्त सफाई एवं कचरा उठाने का कार्य करना होगा।
35. गैलेरियों, बरामदों पर प्रतिदिन पौंछा लगाना होगा। कमरों में सप्ताह में दो बार पौंछा लगाना होगा। सफाई संबंधी समसत सामग्री यथा–फिनाईल (लिक्वीड), साबुन, ऑडोनिल, फिनाईल की गोलियां, कोलीन, स्प्रे, वाशिंग पाउडर, झाडु पौंछा, टॉयलेट क्लिनर आदि की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।
36. पैमेन्ट शीट में बताई गई पी.एफ/ई.एस.आई. की राशि के चालान की प्रति भुगतान शीट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पैमेन्ट शीट में बताई गई पी.एफ./ई.एस.आई. की राशि चालान से मिलान शुदा होनी चाहिये। अन्यथा बिल पारित किया जाना संभव नहीं होगा।
37. कार्य स्थल पर सेवा फर्म के किसी भी सदस्य/प्रदत्त स्टॉफ या सम्बन्धित अन्य को किसी भी प्रकार की शारीरिक या अन्य प्रकार की हानि होने पर संस्थान किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा, न ही किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी।
38. कार्यालय भवन में स्थित पानी की टंकियों की सफाई 6 माह में एक बार करनी अनिवार्य होगी ।
39. ठेकेदार/फर्म को अनुमोदित वार्षिक राशि के क्रम में अनुपातिक रूप से मासिक भुगतान किया जा सकेगा। संवेदक को माह समाप्त होने के आगामी माह की 10 तारीख तक कार्यालय अधीक्षक से बिल प्रमाणित करा प्रस्तुत करना होगा। यदि संवेदक सेवाकर के दायरे में आता है तो नियमानुसार सेवाकर की राशि स्वयं के स्तर से सम्बन्धित विभाग में जमा करानी होगी एवं मांगने पर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। सेवाकर का पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
40. ठेकेदार द्वारा कामगारों को परिचय पत्र एवं विशिष्ट ड्रेस उपलब्ध करवाना होगा जिसे सफाई कार्य करते समय अपने पास रखना होगा ।
41. कामगारों द्वारा कमरों के अन्दर की सफाई का कार्य रात्रिकालिन चौकीदार की उपस्थिति में करना होगा । कमरों में सफाई कार्य के दौरान भवन की चल–अचल सम्पति एवं रिकार्ड की गोपनीयता एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार की क्षति एवं गोपनीयता भंग होने पर विभागीय चौकीदार एवं ठेकेदार फर्म उत्तरदायी रहेगी। सुरक्षा एवं गोपनीयता के संबंध में 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर ठेकेदार फर्म को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
42. किसी भी शर्त की पालना नहीं करने पर हुई हानि एवं ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने पर उसकी वसूली धरोहर राशि एवं बकाया बिलों से की जा सकेगी ।
43. उपरोक्त समस्त शर्ते मान्य है तथा ये शर्ते उक्त निविदा का भाग होगी जो कि GF&AR भाग 2 के एस. आर. 16 एवं पारदर्शिता नियमों के तहत मान्य होगी।
44. उक्त शर्तो के अतिरिक्त GF&AR एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें।
45. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की धारा–80 में वर्णित सत्य निष्ठा की अर्हता बोलीदाता पर लागू होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Name of work :- Cleaning of office Building at Devasthan vibagh Udaipur.

Schedule -H

Non B.S.R. Item

S.No	Item	Qty	Rate Yearly amount (In Rs.) Including all taxes)
1	Cleaning of office buiding complete G.F., Ist floor, 2nd floor, 3rd floor, rooftop & all rooms, Toilets, corridors, staircase, common toilets, lift, Balconies, Porch & outer side road ,parking & back side complete premises including warter overhead tank, Ground water tank, and cleaning of door, windows, glass, ceiling (Jhale), all cleaning with washing powder, phenol, toilet cleaner, wet & dry wiper etc. complete with all respect.	1 No. job (Per Year)	To be quoted .... (Figure) .... (words)

Signature of Contractor
With full Address

Signature of Commissioner
Devasthan Deaprtement Udr.

Terms and condition (i) All cleaning material used by contractors his own coste. Nothing is issued by department.

(ii) Time 7 to 9-30 am in presence of office chokidar

(iii) work done as per instruction of office incharge (Devasthan).